

## उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ

दांडिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या.- 12379/2025

अभिनंदन सिंह

..... आवेदनकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह लखनऊ

.....प्रतिवादी(गण)

आवेदनकर्ता(गण) के अधिवक्ता :-मनोज कुमार दुबे, विश्राम कुमार चौहान

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता :-शासकीय अधिवक्ता,आलोक कुमार मिश्रा,वीर बहादुर लाल

श्रीवास्तव

न्यायालय संख्या. - 13

## माननीय न्यायमूर्ति मनीष कुमार

1. आवेदनकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।

2. इस आवेदन के माध्यम से आवेदनकर्ता, जो वाद अपराध संख्या 249 /2025, भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) एवं 61(2), थाना गुडम्बा, जनपद लखनऊ से सम्बद्ध है, विचारण अवधि के दौरान जमानत पर मुक्त किए जाने की मांग कर रहा है।

3. वर्तमान मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 24.06.2025 को छह अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध की भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 (1) (पुरानी भारतीय दंड संहिता की धारा 302) एवं 61 (पुरानी भारतीय दंड संहिता की धारा 120-ख) के अंतर्गत एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि सूचनाकर्ता का पति किराए के मकान में रह रहा था और अभियुक्त संख्या-1 के साथ उसके संबंध थे। अभियुक्त संख्या-1 के पास उस किराए के मकान की चाबियाँ थीं और उसी ने सूचना दी थी कि सूचनाकर्ता का पति मृत पाया गया है। उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में आगे यह भी आरोप लगाया गया है कि घटना की तारीख

अस्वीकरण:

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

से पूर्व, नामजद अभियुक्त संख्या-6 ने फोन करके धमकी दी थी कि यदि सूचनाकर्ता के पति ने अपनी आदतों में सुधार नहीं किया, तो उसे अपनी जान गंवानी पड़ेगी और तत्पश्चात अभियुक्त संख्या-1 के परिवार के सदस्यों ने सूचनाकर्ता के पति की हत्या कर दी।

4. आवेदनकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि आवेदक न तो प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है और न ही सूचनाकर्ता के बयान में उसका नाम लिया गया था। आवेदनकर्ता का नाम पहली बार मृतक उमाशंकर की पुत्री के बयान में सामने आया है, जिसमें उसने यह कहा है कि शिवा सिंह और संजय सिंह ने उसके पिता अर्थात् मृतक से ऋण लिया था और वे उसे वापस नहीं कर रहे थे, तथा उन्होंने वर्तमान आवेदनकर्ता एवं उसके भाई के साथ मिलकर उसके पिता की हत्या कर दी।

5. यह आगे तर्क दिया गया है कि पुलिस ने छह नामजद अभियुक्त व्यक्तियों के पक्ष में अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी है और आवेदनकर्ता, शिवा सिंह, संजय सिंह तथा कविनंदन सिंह के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया है, जिनका नाम मृतक की पुत्री द्वारा बाद में लिया गया था।

6. यह आगे तर्क दिया गया है कि उक्त घटना का कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं है। आवेदनकर्ता को मृतक की पुत्री के बयान के आधार पर झूठा फँसाया गया है।

7. यह आगे तर्क दिया गया है कि शिवा सिंह उर्फ शिवराम सिंह, जो मुख्य अभियुक्तों में से एक है और जिसने मृतक की पुत्री द्वारा दिए गए बयान के अनुसार मृतक से ऋण लिया था, ने इस न्यायालय के समक्ष दांडिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 10236/2025 दाखिल किया था, जिसमें इस न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 30.10.2025 के माध्यम से जमानत मंजूर कर दी है। उक्त आदेश की प्रति बहस के दौरान उपलब्ध कराई गई है, जिसे अभिलेख पर लिया गया है।

8. यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि आवेदनकर्ता दिनांक **27.06.2025** से जेल में निरुद्ध है। आवेदनकर्ता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

9. यह आगे तर्क दिया गया है कि आवेदनकर्ता को वर्तमान मामले में मिथ्या रूप से फँसाया गया है और वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

10. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने प्रति-शपथ पत्र के आधार पर यह तर्क दिया है कि मृतक की पुत्री के बयान से वर्तमान आवेदनकर्ता के विरुद्ध अपराध बनता है, किंतु उन्होंने न तो इस तथ्य का खंडन किया है कि सह-अभियुक्त शिवा सिंह को इस न्यायालय द्वारा जमानत

#### **अस्वीकरण:**

**“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”**

पर रिहा कर दिया गया है, और न ही आवेदनकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अन्य तर्कों का विरोध ही किया है।

11. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन करने के पश्चात; इस तथ्य पर विचार करते हुए कि प्रारंभ में मृतक की पत्नी ने छह अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें आवेदनकर्ता नामजद नहीं था; सूचनाकर्ता ने अपने बयान में वही कथन किया जिससे प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप यथावत रहे; प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद सभी अभियुक्तों के विरुद्ध अंतिम रिपोर्ट दाखिल की जा चुकी है; मृतक की पुत्री के बयान के आधार पर पूर्णतः एक नया और भिन्न मामला बनाया गया है, जिसके आधार पर चार व्यक्तियों संजय सिंह, शिवा सिंह, अभिनंदन सिंह (वर्तमान आवेदनकर्ता) और कविनंदन सिंह के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया गया है; मृतक की पुत्री ने अपने बयान में आवेदनकर्ता और अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध संभवतः इस तथ्य के आधार पर आरोप लगाए हैं कि शिवा सिंह और संजय सिंह ने उसके पिता से ऋण लिया था; इस प्रकार, प्रथम दृष्टया यह पाया जाता है कि यह एक उपयुक्त प्रकरण है जिसमें आवेदनकर्ता को जमानत पर रिहा किया जा सकता है।

12. तदनुसार, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

13. आवेदक **अभिनंदन सिंह** को उपरोक्त वाद अपराध संख्या में, संबंधित न्यायालय के संतोषानुसार एक व्यक्तिगत बंध-पत्र तथा उतनी ही धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर, निम्नवत शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

- (i) आवेदनकर्ता विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष को सहयोग करेगा।
- (ii) आवेदनकर्ता विचारण के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (iii) आवेदनकर्ता अभियोजन पक्ष के गवाह(गवाहों) पर दबाव नहीं बनाएगा और न ही उन्हें डराएगा-धमकाएगा।
- (iv) आवेदनकर्ता कोई अन्य अपराध कारित नहीं करेगा।
- (v) आवेदनकर्ता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके, और न ही साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करेगा।

#### अस्वीकरण:

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

(vi) आवेदनकर्ता विचारण न्यायालय के समक्ष नियत प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

(vii) जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, तब आवेदनकर्ता गवाही के लिए नियत तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा।

(viii) आवेदनकर्ता दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत बयान अभिलेखित करने के लिए नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

14. उपरोक्त शर्तों के चूक की स्थिति में, विचारण न्यायालय के लिए यह विकल्प खुला रहेगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और विधि के अनुसार आदेश पारित करे।

15. चूंकि यह आदेश आवेदनकर्ता को जमानत पर रिहा करने से संबंधित है, अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियों का मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा विचारण न्यायालय इस आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित नहीं होगा।

(न्यायमूर्ति मनीष कुमार)

मार्च 30, 2026

आशीष

**अस्वीकरण:**

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”